

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क.एफ 28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी/जयपुर-संभाग/2018/4053 जयपुर,दिनांक:04-11-19

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार निम्न कार्मिकों की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 18 वर्ष की सेवायें सन्तोषप्रद पूर्ण होने से Pay Band 9300-34800 Grade Pay 4200 में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	पंचायत प्रसार अधिकारी का नाम व पदस्थापित स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	18 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री जगदीश प्रसाद भँवरिया, पं.स. दांतारामगढ़ (सीकर)	22.02.1997	22.02.2015 (द्वितीय ACP)
2.	श्री रामचन्द्रसिंह मंगावा, पं.स. खण्डेला (सीकर)	06.01.1997	06.01.2015 (द्वितीय ACP)
3.	श्री बजरंग लाल शर्मा, पं.स. खण्डेला (सीकर)	05.02.1997	05.02.2015 (द्वितीय ACP)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर को उनके पत्र क्रमांक 588 एवं 589 दिनांक 10.10.2019 के क्रम में श्री श्री जगदीश प्रसाद भँवरिया, श्री रामचन्द्र सिंह मंगावा एवं श्री बजरंग लाल शर्मा पंचायत प्रसार अधिकारियों की सेवापुस्तिकायें (सजिल्द 1+1+1=कुल-3) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिका में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति दांतारामगढ़/खण्डेला (सीकर)।
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी।
5. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त